वन मित्र कॉल सेंटर नं0. 9208008000

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
फोन / फैक्स: 01376 232077, ई मेल: dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्र संख्या: 1058 12 – 1 (2) , नई टिहरी, दिनांक: नवम्बर, 6 , 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय: जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भ : आपका पत्रांक–583 / FP/UK/ROAD/8840/2014 दिनांक 19–08–2015 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 47 / 2015 / एफ.सी / 995 दिनांक 17–08–2015

महोदय,

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कैंथोली से नैखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.47 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता विभाग द्वारा अपने पत्रांक 3093 / 23 सी0 दिनांक 30–10–2015 से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है–(पत्र की प्रति संलग्न है)।

1. भारत सरकार की शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.94 है0ग्राम घोघरा सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखाव हेतु आवश्यक धनराशि मु0 6,15,536.00 (छः लाख पन्द्रह हजार पांच सौ छत्तीस) रुपये मात्र एवं एवं शर्त संख्या–2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि 9,65,790.00 (नौ लाख पैंसठ हजार सात सौ नब्बे)रुपये कुल 15,81,326.00(पन्द्रह लाख इक्यासी हजार तीन सौ छब्बीस) रू0 की धनराशि Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal SB A/C No-0371001010025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली IFSC Code CORP 0000371 MICR code 110017007 में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा किया गया है। E-Cheque Advise की छाया प्रति तीन प्रतियों में संलग्न है। जिसका UTR No. SBIN 715301371800 है। पत्र की प्रति संलग्न है ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम घोघरा सिविल एवं सोयम भूमि 2.94 है0 को जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या–2819 / XVI-07(2014-15) दिनांक 08–09–2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित / हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसे सम्बन्धित वनक्षेत्राधिकारी द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिया गया है। अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र मय नक्शे–खसरे के तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

2. भारत सरकार की शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है।

3. नोडल अधिकारी की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार डिमाण्ड नोट सत्यापन करने के पश्चात् धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है।

4. भारत सरकार की शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त धनराशि बिन्दु संख्या–1 के अनुसार आर०टी०जी०एस० के माध्यम से जमा की गयी है।

5. भारत सरकार की शर्त संख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत कि निर्माण कार्य के पश्चात् जहां सम्भव हो सके सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है।

6. नोडल अधिकारी के शर्त संख्या–8 के अनुसार मलवा निस्तारण योजना वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर०पी० मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या – 1038 दिनांकित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर० पी० मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।